संख्या- 81/2018/3153/33-3-2018-100(3)/2017

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत उ0प्र0 पंचायतीराज वित्त एवं विकास निगम लि0 की लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि रू. 3.48 लाख को अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/242/2018-1/356/2017 दिनांक 05.09.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत उ0प्र0 पंचायतीराज वित्त एवं विकास निगम लि0 की लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि रू. 3.48 लाख (रू. तीन लाख अडतालीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुत जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।

(5) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) निदेशक,पंचायतीराज द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशि के एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(8) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबधं में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2017 व अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2/979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में दिए गए निर्देशों तथा शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबधं में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(12) इस संबधं में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-09-उ0प्र0 पंचायतीराज वित्त एवं विकास निगम लि0 की लम्बित देनदारियों का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अधीन प्रावधानित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-2-947/ X-18 दिनांक 03.10.2018 मे प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः- तदैव।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।
2- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पंचायतीराज वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in